पत्रावली में [illegible] उपस्थित [illegible] पक्षकार की
[illegible] पर मनन किया गया। पत्रावली पर उप
[illegible] का नवीनीकरण किया गया
[illegible] वर्ष 2018 - 2021 वाले ग्राम
पंचायत के खाते संख्या 144, 571, 645,
135, 646, 647, 549, 148, 157, 537, 584 कुल
मिला 10 कुल रकबा [illegible] पर बिजली आदि
[illegible] देवस्थान [illegible] 72 व कुंवरजी
पुत्र [illegible] 72 मानी पर देव सुरक्षा [illegible]
दर्ज किया है उक्त कब्जाधारी के खाते खाता संख्या
170, 174, 175, 196, 197, 198, 828, 829, 830,
1007, 1030, 1055, 1066, 1087 कुल मिला 14
[illegible] पुत्र सुखपाली, कांई पुत्र [illegible]
रामनारायण मानी पर देवस्थानेतर दर्ज किया है।
उक्त कब्जाधारियों गोपाल, सुखपाली व कांई ने
नाम किस तरह दर्ज हुआ है, रकबा किस
[illegible] बाद में [illegible] पर ही तय
हो सकेगा। प्रकरण [illegible] व सुविधा का
संतुलन [illegible] के पक्ष में प्रबल है। न्यायालय
उक्त कब्जाधारियों के राजस्व रेकर्ड व मौके की
यथास्थिति बनाये रखना उचित समझता है अतः
उभय पक्षों की तर्कसंगत बात जानकर किया
जाता है कि 1/4 कब्जाधारी खाता नं. 170, 174, 175,
196, 197, 198, 828, 829, 830, 1007, 1030,
1055, 1066, 1087 कुल मिला 14 कुल रकबा
5.66 हे. वाले ग्राम पंचायत बहलीन तहसील
के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे
पत्रावली फैसलशुदा होकर नस्ती के अन्दर है।
[illegible]

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner